न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 48/2019

अनवान :

1. राजेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. ईश्वर कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछौटी तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. बृजलाल पि0मु0 भज्जु जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. सन्तरो पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. भगवती पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़: वादीगण
वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ :प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 06.08.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिग्रसरीछोटी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 57/55 के खसरा सं. 100/2 की 0.253 हैक्टर, खसरा सं. 106 की 0.316 हैक्टर, खसरा सं. 191 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 192 की 3.769 हैक्टर, खसरा सं. 233 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 244/1 की 1.240 हैक्टर, खसरा सं. 271/2 की 8.511 हैक्टर कुल किता 7 की 14.139 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी बृजलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा भज्जु की खातेदारी हुआ करती थी। इस प्रकार वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादीगण एवं प्रतिवादी बृजलाल व भगवती का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। भज्जु के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी बृजलाल व भगवती को विरासतन में बहिस्सा बराबर के अनुसार मिली थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी बृजलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली।

वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 बृजलाल के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो बृजलाल के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी बृजलाल को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी बृजलाल की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी बृजलाल क नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 अपना

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक)भादरा

ईकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2072–75 जिगासरीछोटी खाता संख्या 57/55 प्रदर्श 1,जमाबंदी जिगासरीछोटी सम्वत 2044 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 57/55 के खसरा सं. 100/2 की 0.253 हैक्टर, खसरा सं. 106 की 0.316 हैक्टर, खसरा सं. 191 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 192 की 3.769 हैक्टर, खसरा सं. 233 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 244/1 की 1.240 हैक्टर, खसरा सं. 271/2 की 8.511 हैक्टर कुल किता 7 की 14.139 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी बृजलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2072–75 जिगासरीछोटी खाता संख्या 57/55 प्रदर्श 1,जमाबंदी जिगासरीछोटी सम्वत 2044 प्रदर्श 2, प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने भी ईकबालदावा के अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 57/55 के खसरा सं. 100/2 की 0.253 हैक्टर, खसरा सं. 106 की 0.316 हैक्टर, खसरा सं. 191 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 192 की 3.769 हैक्टर, खसरा सं. 233 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 244/1 की 1.240 हैक्टर, खसरा सं. 271/2 की 8.511 हैक्टर कुल किता 7 की 14.139 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी बृजलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के बजाय वादीगण राजेश 1/3 हिस्सा, ईश्वर कुमार 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 बृजलाल 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वांद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S. भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 48/2019

अनवान :

1. राजेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. ईश्वर कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछौटी तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. बृजलाल पि0मु0 भज्जु जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. सन्तरो पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. भगवती पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण प्रेमप्रकाश झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 57/55 के खसरा सं. 100/2 की 0.253 हैक्टर, खसरा सं. 106 की 0.316 हैक्टर, खसरा सं. 191 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 192 की 3.769 हैक्टर, खसरा सं. 233 की 0.025 हैक्टर, खसरा सं. 244/1 की 1.240 हैक्टर, खसरा सं. 271/2 की 8.511 हैक्टर कुल किता 7 की 14.139 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी बृजलाल के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के बजाय वादीगण राजेश 1/3 हिस्सा, ईश्वर कुमार 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 बृजलाल 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वांदीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़